SHORT DURATION DISCUSSION—(Contd.)

Atrocities on women in the country

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। महोदय, भारतीय समाज का एक पक्ष रिश्तों से और मर्यदाओं से बंधा हुआ है।यह पक्ष कितना सुखद और कितना सुन्दर है, लेकिन जब दूसरे पक्ष की ओर से देखते हैं तो कितना भयावह औऱ घृणित नजर आता है, जिसकी चर्चा आज हम यहां सदन में कर रहे हैं। महोदय, जब हम एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण उसके अधिकारों और समानता के हक की बात करते हैं तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहला पड़ाव आता है, उन्हें उत्पीड़न औऱ शारिरिक हिंसा से मुक्त कर सुरक्षित माहौल देने का, तभी वे आगे बढ़ सकती है। लेकिन देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार बेतहाशा बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हमारे समाज में महिलाएं मानसिक व शारीरिक रूप से हिंसा औऱ अत्यचार की शिकार बड़ी संख्या में हो रही है। खासकर दलित, शोषित औऱ अनपढ़ महिलाएं ।यह भी नहीं कहा जा सकता कि पढ़ी-लिखी औऱ उन्नत वर्ग की महिलाएं अत्याचार से परे हैं। वे भी उत्पीड़न और अत्याचार की शिकार है। वर्तमान में हामारे जो कानुन हैं, जो कानुनी प्रावधान है, वे महिलाओं को अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसा से मुक्त कराने में काफी हद तक नाकाफी साबित हो रहे हैं। समाज में महिलाओं को चुड़ैल औऱ डायन कहा जाए, विधवाओं को अशुभ माना जाए, महिलाओं को बांझ कहकर अपमानित किया जाए, दहेज के लिए महिलाओं को जिंदा जला दिया जाए, आज अनेक तरह के शारीरिक औऱ मानसिक शोषण की इंतहा है गई है. यहां तक कि स्कुल औऱ कॉलेजों की जो बच्चियां है, छात्राएं हैं, उनको मोबाइल पर नग्न चित्र और अश्लील SMS भेजना, उनका उत्पीड़न है और एक तरह से उनके भावनाओं को कष्ट पहुंचाना है। अब देश की राजधानी दिल्ली का ही एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। अन्य प्रदेशों में भी इस तरह के उत्पीड़न की और अत्याचार की घटनाएं हो रही है, लेकिन सभी का वर्णन यहां करना बड़ा मुश्किल हैं। दिल्ली में हम जब आए दिन पढ़ते हैं-"दुष्कर्मों के मामले में दिल्ली सबस आगे" , " दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं महिलाएं","बलात्कारः महिलाओं में जबर्दस्त दहशत"," बलात्कार की वारदातें बढ़ी " । मैं कितना पढुं? ये सब headlines अखबारों की है, जो यह बयान करती है कि देश की राजधीनी दिल्ली में कानून और व्यवस्था नाम की की चीज नहीं रह गई है। यहां महिलाएं, चाहे वे अनपढ़ हो, या गरीब परिवार की हो, या संपन्न परिवार की हों, या पढ़ी लिखी हों, पर कोई भी महिला यहां अपने आपको सुरक्षित महसूस नही कर रही है, यहां तक कि छोटी-छोटी बच्चियों को भी अपराधी लोग अपनी हवस का शिकार बना रहे । मायापूरी में अभी हाल ही में एक गर्भवती महिला के साथ रेप किया गया नजफगढ़ में बस में, एक बच्ची के साथ 6 लोगों ने गैंग-रेप किया, जिनमें ड्राईवर औऱ कंडक्टर भी शामिल थे। ऐसी एक नहीं, अनेक

घटनाएं हैं। और पुलिस तथा सरकार केवल तमाशबीन बनी बैठी है। इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। संसद में भी हमारें गृह राज्य मंत्री जी ने 2 मार्च, 2005 को यह स्वीकार किया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली में सूचित बलात्कारों के मामले में बढ़ोतरी हुई है। गृह राज्य मंत्री के उसी बयान पर अगर हम गौर करें, तो वर्ष 2002 में बलात्कार के आरोपों में 618 लोगों को गिरफ्तार किया गया था औऱ उनमें से केवल 12 व्यक्ति दोषी सिद्ध हुए हैं, 72 अपराधी तो ऐसे ही छूट गए औऱ बाकी के मामले लंबित हैं. जो मामले लंबित हैं, उनमें दोषी व्यक्ति किसी न किसी तरीके से, कुछ न कुछ रास्ता निकालकर छूट जाएंगे। इसी तरीके से वर्ष 2003 और 2004 में स्थिति और भी ज्यादा भयानक है, जब बलात्कारों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई कि 745 लोग इन मामलों में पकड़े गए और इनमें से किसी को भी दोषी करार नहीं दिया गया, सभी के सभी छूट गए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि सरकार को इस अपराघों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। गृह राज्य मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने भी उस वक्त अपने जवाब में कहा था कि इस अपराधों को रोकने के प्रति सरकार गंभीर है और महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिएकोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन मुझे तो यह महज़ बयानबाज़ी लगती है। क्योंकि" दिल्ली अपराधों की राजधानी" वाली कहावत सच साबित होती जा रही है। गृह राज्य मंत्री जी ने कहा था कि लोक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था राज्य के विषय हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि अन्य प्रदेशों में जो अपराधिक घटनाएं घट रही है, उनको छोड़िए, लेकिन यह देखिए कि दिल्ली में यहां केन्द्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनके दल की सरकार है, फिर इन घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती है, इन चीजों को क्यों नहीं रोका जाता है? यह सारी दास्तान हमें अपना सिर शर्म से झुका लेने पर विवश करती है। देश के अंदर प्रत्येक 51 मिन्ट में एक महिला का यौन उत्पीड़न होता है। प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे देश के अन्दर प्रत्येक 102 मिनट में एक दहेज हत्या हो रही है, छेड़छाड़ की एक घटना प्रत्येक मिनट में हो जाती है, उत्पीड़न की एक घटना प्रत्येक 33 मिनट में हो रही है। इसके अतिरिक्त गरीबी के नाम पर कभी बचारी महिला शेख को बेच दी जाती है, तो कभी कोठे पर पहुंचा दी जाती है। कभी नौकरी के लिए बहला-फुसला कर उसके साथ जिस प्रकार का दरिन्दगीपुर्ण व्यवहार होता है.उससे वह महिला कहां से कहां पहुंच जाती है। जब वह बयान करती है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परिवार में किसी भी मजबूरी के लिए कभी हमने लड़को को बेचते हुए नहीं देखा है। हर मामले मे महिलाएं और कम उम्र की बच्चिया ही इस करह की शिकार होती है।

उससभाध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान दुसरी तरह भी आकर्षित कराना चाहूंगी, इस मामले में सदन में एक बार चर्चा भी हो चुकी है, इस पर कानून भी बना है।चिकित्सा जगत में अल्ट्रासाउंड

की जो प्रणाली है, वह मानव जाति के लिए शरीर में रोगों का पता तगाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन आज उसका दुरूपयोग हो रहा है। इससे कन्या भ्रूया को पहचान कर खत्म करने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब और हरियाणा में तो लगातार इस तरीके की कन्या भ्रूणू हत्याएं हो रही है। अब इसका असर दिल्ली में भी हो रहा है। उपसभाध्यक्ष जी, यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो दिल्ली कन्या भ्रूणों की कब्रगाह बन जाएगी । कन्या भ्रूण हत्याएं मध्य प्रदेश, राजस्थान बिहार महाराष्ट्र सभी प्रदेशों में है, लेकिन मैं आपको दक्षिण दिल्ली के हौज खास का एक उटाहरण देना चाहूं गी, जहां पर सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां एक हज़ार लड़कों की तुलना में 762 लड़कियां रह रही है। क्यों? वैसे तो सारी की सारी दिल्ली में बहुत खतरनाक तरीके से यह अनुपात घट रहा है। दिल्ली में जो पंजीकृत अल्ट्रासाउंड के संटर्स हैं, उनकी संख्या 1800 हैं वहां पर जो सेक्स सेलेक्शन या लिंग परिक्षण होते हैं, वह कानुनी जुर्म हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह काम बेरोक टोक चल रहा है। कानून से बचने के लिए लोग कूट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होने शॉर्ट फार्म में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। सुना है कि इन अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जब महिलाएं टेस्ट के लिए जाती है, तो जो रिपोर्ट आती है, उसमें वे बताते हैं कि दूसरी किसी बीमारी का चक-अप कराने के लिए वह रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन वह डॉक्टर जो रिपोर्ट देता है, अगर उसमें कहा,' जय माता दी' तो इसका मतलब है कि 'कन्या' है औऱ यह सुन कर महिलाओं के चेहरे मुरझा जाते हैं। अगर उसमें 'जय श्री कृष्ण' कह दिया, तो वह खुश हो जाती है, इसका मतलब है कि वहां लड़का पैदा होने वाला है। इसी तरह से वह कहेगा कि मंडे को रिपोर्ट ले जाना तो इसका मतलब है लड़का मेल चाइल्ड औऱ अगर वह कहेगा कि फ्राइडे को रिपोर्ट ले जाना मतल फ्राइदे शुक्र देवी का दिन होता है यानी कन्या होगी। यह हंसने की बात नहीं है। कानून से बचने के लिए इस तरह से जो रास्ते निकाले जाते हैं, वह हम लोगों के लिए बड़ी चिन्ता वाली बात है। इन सब सेंटरों की जो मासिक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की लाइसेंसिंग शाखा को भेजनी पड़ती है. परन्तु इन्हें इसकी भी कोई परवाह नहीं होती है। वे अपना रास्ता हर तरह से निकाल ही लेते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मेरा याह कहना है कि जितने भी पंजीकृत सेंटर्स हैं, इन सेंटरों के हर महीने के आंकड़े मंगवाने चाहिए और आंकड़े मंगवा कर यह देखना चाहिए कि कितनी गर्भवती महिलाओं ने उन सेंटरों में जा कर अपना चेक-अप कराया है। इसके आधार पर फिर पता लगाना चाहिए कि उन महिलाओं में से कितनों को बेटे हुए हैं और किनतों को लड़कियां हुई है। अगर सबके बेटे निकलते हैं, तो यह पता लगाने के बाद ऐसे सेंटरों के खिलाफ कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस पर रोक लग सके।हरियाणा की हालत तो सबसे बुरी है वहां पर लड़कियों को तो जन्म लेते ही मार देते हैं, लेकिन वे बहुएं खरीद कर ला रहे हैं। बड़ी संख्यां में उड़ीसा से, मध्या प्रदेश से, राजस्थान से वेस्ट बंगाल से वे लड़किया.15-15.12-12 वर्ष की होती है। उनकी जिन्दगी किस तरह की बीतती है, इसकी तरफ भी हमारी निगाह जानी चाहिए।

(श्री उपसभापति महोदय, पीठासीन हुए)

जो यातना, जो अत्याचार ये महिलाएं भूगत रही हैं, इससे तो वहां गुलाम बहुओं की एक फौज तैयार हो रही हैं। अगर वहां से निकलना भी चाहे तो भाग नहीं सकती हैं। वह वहां की संस्कृति से वाकिफ नहीं होती हैं। वहां के जो सामाजिक रिति-रिवाज होते हैं, उस में उसे शामिल नहीं किया जाता है। उसे घर के बाहर कोने में तबेला में रखा जाता है। अगर भागने की कोशिश करती है तो कहते हैं कि हम पैसे देकर लेकर आए हैं, कैसे भागकर जाएगी। उपसभाध्यक्ष महोदय यह तो एक उदाहरण है। वहां गांव में बैनर लगी वैन घूमती है, उस में लिखा होता है कि, "आज एक हजार खर्च करो और कल एक लाख बचाओ।" लेकिन अब कानून के दबाव में यह काम दो साल से छिपे तौर पर हो रहे हैं। यह कम नहीं हुआ है बल्कि इस के रेट और बढ़ गए हैं।

इसी तरह से राजस्थान में भी जब सर्वे कराया गया और कुछ परिवारों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है, परिवार की इज्जत होती है, लेकिन उस के आने से परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और लड़का हो तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं ओढ़नी पड़ती उन्होने भी "लेकिन" शब्द लगा दिया। तो यह स्थिति, यह सोच कितनी भयावह है, इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

उपसभापति जी, 1901 से लेकर 2001 के बीच में 40 लाख से लेकर साढ़े 3 करोड़ महिलाएं इस देश में कम हुई हैं। इस संबंध में शहरों और गांवों की स्थिति एक जैसी है। इतना ही नहीं आने वाले समय में 2.30 करोड़ लड़कों को बहुएं नहीं मिलेंगी। महोदय, इस गिरते हुए अनुपात का सब से बड़ा कारण sex selection करने वाला परीक्षण है। इस बारे में कानून होने के बावजूद हमें इस पर रोक लगाने में सफलता नहीं मिली है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस कारण समाज में जो असमानता और कई प्रकार की विसंगतिया और खराबियां पैदा हो रही हैं जिस का प्रकटकरण महिलाओं के प्रति दुर्भावनापूर्ण आचरण के रूप में होता है। यही कारण है कि महिलाओं की गरिमा और उस के हितों को निरंतर आघात पहुंच रहा है। महिलाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है और उन के साथ हो रहे अत्याचार का खामियाजा पूरे देश और समाज को भूगतना पड़ता है।

उपसभाति जी, अभी एक चित्र प्रतियोगिता हुई जिस मे एक कलाकार ने अपनी पेंटिंग रखी और उस कलाकार की पेंटिंग प्रथम स्थान पर आई। उस पर लोगों ने खूब हंगामा मचाया और कहा कि यह भी कोई चित्र है। इस में टूटा-फूटा दरवाजा दिखायी दे रहा है जिस पर एक हाथ दस्तक दे रहा है। उस में दस्तक देने वाले का चेहरा भी दिखायी नहीं दे रहा है और पता नहीं इन निर्णायकों को क्या हो गया कि दूसरे इतने सुंदर-सुंदर चित्र इस प्रतियोगिता में आए, लेकिन उन को निर्णायोकों ने इनाम नहीं दिया। उन्होंने इनाम एक ऐसे को दिया जिस के सिर का पता है और

न पैर का। उस चित्र के निचे ये शब्द लिखे हैं कि, "घर में कोई नहीं है।" तो इस का क्या अर्थ है? वहां लोग इस प्रकार से आपस में टीका-टीप्पणी कर रहे थे और अगर वह कलाकार वहां नहीं आ जाता तो इन टिप्पणियों का सिलसिला यूं ही चलता रहता। जब उस कलाकार से पूछा गया कि इस का अर्थ क्या है तो उस ने धीमे से मुस्कराकर जवाब दिया कि, यह महिलाओं की स्थिति की अभिव्यक्ति है। उस पर समाज और पूरुष का आधिपत्य इतना हावी रहता है कि उसे उस की अपनी पहचान नजर नहीं आती है। उस ने बताया कि यह ताला जहां उस पर लगे बंधनों का प्रतीक है वहीं यह दस्तक देता हाथ आशा का संकेत है और अंदर से आता महिला का स्वर कि "अंदर कोई नहीं है" यह उस की अपनी पहचान खो देने की ओर इशारा करता है। इस तरह उस कलाकार ने अपने विवरण से वहां उपस्थित लोगों को चुप करा दिया। उपसभापति जी, मैंने सदन में यह बात इसलिए रखी कि यह तो उस कलाकार की कल्पना थी, जो उसने चित्र मे उकेरी थी, लेकिन आज बंद ताले के अन्दर बैठी महिला उस दस्तक की आवाज़ सुन रही है। वह न केवल सुन रही है, बल्कि समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनसे भी संघर्ष करते हूए बाहर निकलना चाहती है। वह उस आवाज को सुन रही है और धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। वह समाज से सवाल भी करने लगी है कि बलात्कार तो पुरुष करे लेकिन उसका खमियाजा और शर्मिंदगी महिला को उठानी पड़े, क्यों? उसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। वह सवाल कर रही है कि यह पूर्णतः केवल पुरुषों के साथ ही क्यों है? पवित्रता की अपेक्षा लड़कियों से ही क्यों की जाती है? महिलाओं से ही क्यों की जाती है? दोनों से क्यों नहीं की जाती है? पुरुष से भी की जानी चाहीए। इसी तरीके से परम्पराओं का बोझ केवल महिला ही क्यों ढोए? उसमें पुरुष को भी सहयोगी बनना चाहिए क्योंकि समाज महिला औऱ पुरुष, दोनों से मिलकर बना है। इसलिए उपसभापति नहोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह मांग करती हूं कि महिलाओं के शील, गरिमा तथा उसके अस्तित्व की रक्षा के साथ ही महिलाओं के आर्थिक, समाजिक और राजनीतिक तथा अन्य सभी अधिकारों को पुनः परिभाषित करते हुए उनके संरक्षण को कानून में सर्वोपरि स्थान दिया जाए।

जब मैं राजनीति की बात करती हूं तो उपसभापति महोदय, संसद के कितने ही सत्र निकल गए। हर सत्र में हम यह सोचते हैं कि इस बार के सत्र में महिला आरक्षण विधेयक, जो 33 प्रतिशत राजनीति के क्षेत्र मे, विधान सभा और संसद में है, जरूर आएगा, लेकिन सत्र पर सत्र गुजरते चले जा रहे हैं, पर महिला आरक्षण बिल अभी तक नहीं आ सका है। यह क्यों नहीं आ सका है, यह कुछ समझ में नहीं आता है। देश की महिलाएं इसका बाट जोहते-जोहते थक गई हैं, जब कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस बिल को जितनी जल्द हो सके यू.पी.ए. की सरकार लेकर आए। यह बिल जिस रूप में भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके इसका समर्थन करने के लिए तैयार है।

उपसभापति जी, हम महिलाओं की आर्थिक, समाजिक स्थिति मजबूत करने की बात करते हैं। महिलाओं की यह स्थिति तब तक अधूरी रहेगी, हम तब तक महिलाओं को आर्थिक और समाजिक रूप से मजबूत नहीं कर पाएंगे, जब तक हम राजनीति के क्षेत्र में उसे 33 प्रतिशत आरक्षण, यानी सत्ता में उसकी भागीदारी को नहीं बढ़ाते हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं को बनाने में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, जबकि उसकी भागीदारी तो नगण्य है। अभी भी उन्हें रिसीविंग एंड पर रखा जाता है, यानी हम जो देंगे वही आपको मिलेगा। स्थिति यह होनी चाहिए कि महिला को इस रिसीविंग एंड से बाहर निकाला जाए।

महिलाओं की भूमिका विधान बनाने में भी होनी चाहिए। उपसभापति जी, मेरी राय में सत्ता में भागीदारी का मतलब कोई मलाई खाने से नहीं है, बल्कि जो 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है, जिसके लिए नियम बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए जो कानून बानाए जाते हैं और जो कार्यक्रम बनते हैं, उनमें उसकी भागीदारी नगण्य है। उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए, जो उसके लिए है। उससे सम्बन्धित नियम-कानून, कार्यक्रमों को बनाने और क्रियान्वयन में उसकी भूमिका होनी चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब हम उसको राजनीतिक क्षेत्र में 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे। यह तो हमारा संवैधानिक हक भी बनता है।

उपसभापति जी, मेरा दूसरा कहना यह है कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे कानूनों के परिपालन और क्रियान्वयन में उदासीनता और लापरवाही तथा loop holes के चलते महिलाओं के हितों पर कुठाराघात न हो। कानूनी प्रावधानों के अलावा समाज की मानसिकता मे बदलाव लाने की दृष्टि से भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसी योजनाएं, जागरूकता अभियान जैसी योजनाएं बनाकर उनको तेजी से लागू करना चाहिए और उन योजनाओं को सख्ती से अमल में लाया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत आज इस बात की है।

महोदय, हम वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं कि हर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जिस तरह से हिंसा की, उत्पीड़न की, अत्याचारों की घटनाएं घट रही हैं, उसको देखते हुए आज मैं इस बात की जरूरत पर बल देना चाहूंगी और सदन में इस बात को रखना चाहूंगी कि न केवल कानून वरन् समूची सरकारी व्यवस्था को जेंडर सेंसटिव बनाया जाना चाहिए और जो भी इसकी अवहेलना करे, उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए और इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। तभी हम महिलाओं का संरक्षण हो सकेगा, हम समाज और देश के अन्दर नव-निर्माण और देश के विकास के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगी।

उपसभापति जी, अंतिम बात कहने से मैं चार लाइनें कहना चाहूंगी, जो एक लेखिका की है-

देश में अगर औरतें अपमानित हैं, नशाद है।

दिल पर हाथ रखकरह कहिए देश क्या आजाद है।।

जिन का पैदा होना ही अपशकुन है, नापाक है।

औरतों की जिंदगी, यह जिंदगी क्या खाक है।।

एक दो होते अगर, तो शायद चुप ही बैठते।

मगर देश में आधे मर्द, तो आधी हम हैं औरतें।।

इसलिए, उपसभापति जी, मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं, जो आज सदन में यह महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और अत्याचार की बात रखने की चर्चा है, इस समय हमारी गृह मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, उनसे मे विशेष आग्रह है कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कठोर कदम उठाए जाएं, ताकि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगा सके। धन्यवाद।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान): उपसभापति जी, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा हो या बाहरी हिंसा, मैं यहां सदन में यह कहना चाहूंगी कि इस सदन में अनेकों बार महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर, शोषण को लेकर, आपराधिक मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। सदन में उन पर डिबेट्स हुई, विधेयक लाए गए, कानून बने, नियम बने, सरकारों ने महिलाओं को संरक्षण और सुरक्षा देने के लिए कई प्रयास किए। घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून बना, महिला आयोग के गठन हुए, महिला पुलिस थाने बने और महिलाओं को राहत और संरक्षण देने के लिए फास्ट ट्रेक अदालतें बनीं, लेकिन यथार्थ में इन सब की स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है?

महोदय, यदि हम यह देखें, तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति हमारे सामने आती है। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि हालत ऐसे बने हैं- "मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की"। महिलाओं को संरक्षण और सुरक्षा देने के लिए जितने उपाय किए गए, जितने कानून बने, जितने नियम बने, उतनी ही महिलाओं के प्रति हिंसा की वारदातों में वृद्धि होती रही। यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है। हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि देश की सर्वोच्च संस्था, जहां संवैधानिक स्थितियों पर चर्चाएं होती हैं, अदालतों के लिए कानून बनते हैं और कार्यान्वयन के लिए जो तमाम पुलिस और दूसरी व्यवस्थाएं हैं, क्या ये सब व्यवस्थाएं महिलाओं को संरक्षण देने के मामले में बेनामी रह जाती है? इन्हें सशक्त करने के लिए और क्या किया जाए, ताकि सही मायनों

में महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिल सके और वाकई में जो उनके प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, हत्या, जैसी वारदातें हैं, उनमें कमी आ सके? महोदय, आंकड़े देखने पर मालूम पड़ता है कि नाबालिक बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में रिकार्ड वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2002-03 के मुकाबले यदि वर्ष 2004 के आंकड़े देखें तो हमें इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है, जो एक बहुत ही शोचनीय स्थिति है।

महोदय, तमाम कानूनों के बावजूद, तमाम प्रशासनिक एंव पुलिस व्यवस्था के बावजूद, तमाम शिक्षा के बावजूद, तमाम आर्थिक विकास के बावजूद, तमाम कानून एंव कायदों एंव नियमों के बावजूद, आज इस देश के अन्दर छः वर्ष की बच्ची से लेकर 60 वर्ष की महिला तक के साथ इस प्रकार की स्थितियों के हालात बनते जा रहे हैं, इसीलिए आज सदन में पुनःइस बात की आवश्यकता समझी गई और इसे चर्चा के लिए लाया गया। आज इस सदन में यह चिन्ता प्रकट की जा रही है कि ऐसा किस प्रकार हो कि महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिले और इस प्रकार की वारदातों में कमी आए।

महोदय, मैं राजस्थान से आती हूं और यह बहूत अफसोस की बात है कि राजस्थान में पिछले डेढ़ वर्ष में महिलाओं के प्रति अपराधों में आठ प्रतिशत से अधिक, करीब नौ प्रतिशत वृद्धि हुई है। हालत यहां तक हो गई है कि पिछले दिनों टोंक जिले में किसानों ने आंदोलन किया था और धरना दिया था, उन पर जब पुलिस की गोली चली तो एक गर्भवति महिला जो अपने घर में खाना पका रही थी, वह गोली जाकर उसे लग गई और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर आए दिन हम महिलाओं के साथ ऐसे कितने ही कांडों के बारे में सुन रहे हैं। राजस्थान के अन्दर महिलाओं के साथ अत्याचरा, अप्रहरण, हिंसा, हत्या इत्यादि आए दिन की बातें हो गई हैं। इस प्रकार महिलाओं के प्रति अपराधों में रिकार्ड वृद्धि हुई है, लेकिन मालूम नहीं क्या कारण है कि अभी तक भी सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया। संयोग से राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन मेरे सामने जो आंकड़े हैं, उन्होंने वर्ष 2004-05 में जो रिकार्ड कायम किया है, इसमें 'State-wise incidents of crime against women' का जो रिकार्ड है, उसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंव राजस्थान के नाम आते हैं। इन तीन प्रदेशों में हालात सबसे अधिक खराब है और इन के बाद दिल्ली का नम्बर आता है।

महोदय, हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में आए दिन लड़कियों के साथ जो इस तरह की वारदातें घटित हो रही है, यह भी सारे नियम-कानूनों पर और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है और इस पर विचार करने की जरूरत है।

महोदय, अगर हम देखें तो महिलाओं पर अत्याचार घर से ही आरम्भ होता है। इसके पीछे कहीं एक सामाजिक सोच का भी बहुत बड़ा योगदान है और यह सोच वहीं से शुरू होती है जहां पर पुत्र

के लिए तो "कुलदीपक" शब्द का प्रयोग किया जाता है और पुत्री को पराया धन कहा जाता है, जब इस प्रकार के विशेषण लगाए जाते हैं और जब समाज में यही सोच है, वहीं से ही लड़की तो परिवार में द्वितीय श्रेणी की सदस्य हो जाती है। इसी सोच का यह परिणाम है कि आज तमाम कोशिशों और कानूनों के बावजूद कन्या भ्रून हत्या की दर में कोई कमी नहीं आई है, अपितु बढ़ोतरी ही हुई है। उपसभापति जी, और भी अधिक खेद और अफोसोस की बात तो यह है कि कन्या भ्रूण हत्या की दर में जो वृद्धि हुई है, यह प्रवृत्ति शिक्षित समाज में अधिक पाई जाती है। जहां उनमें परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता आई है, वहीं उनकी मानसिकता यह भी है कि यदि दो बेटे हो जाएं तो वे तो चलेंगे, वे तो मंजूर है, लेकिन उन्हें दो बेटियां स्वीकार नहीं है, परिवार भी सीमित रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में बेचारी बालिकाओं का गला, प्रसव से पूर्व, गर्भ में ही घोंट दिया जाता है। हमारे देश में यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शिक्षित समाज के अन्दर अधिक है।

महोदय, इस विषय में बहुत से नियम व कानून बनाए गए, लेकिन जब तक उनका इम्प्लिमेंटेंशन उतनी सख्ती से नहीं होगा, जब तक पुलिस की व्यवस्था ऐसी नहीं होगी कि जो संबंधित अधिकारी है, उन्हें यह भय हो कि यदि हम इस मामले में अपराधी को पकड़ न पाए तो इसका असर हमारे कैरियर पर भी पड़ सकता है, तब तक स्थिति जस की तस रहेगी। यह सारा देश जानता है कि उन्हें कोई भी भय नहीं रहता है, इसीलिए इस तरह के मामलों को लोग पद के प्रभाव से, रुपये के प्रभाव से, राजनैतिक प्रभाव से या आपसी प्रभाव से दबाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर वे महिलाएं न्याय के लिए कहां जाएं? और वे महिलाएंम कहा जाएं न्याय के लिए। आज अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होती है तथा वह हिम्मत करके अगर हौसला भी जुटाती है कि जाकर के थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए और अदालत तक पहुंचे और जब अन्त में वह यह पाती है क्योंकि वैसे तो यह आसान नहीं होता कि जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना और केस लड़ना, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है, बार-बार अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसे मामलों में उस सड़की को भी और उसके परिवार वालों को भी, उतना तक पहुंच सकें तो भी जब कई लड़कियों को अगर इसके आंकडे निकालें तो कितनों को न्याय मिल पाता है, उनको एक लम्बी-लम्बी न्याय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल पाता है। हताश होकर के वह बच्ची और परिवार वाले जिन्हें यह लगता है कि वे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, उसके बाद वह कहां फरियाद करने जाएं, क्योंकि ऐसे मामलों को रफा-दफा कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है और सारे कानून धरे के धरे रह जाते हैं। जब तक जो कानून बने हैं उनका लाभ पीड़िता को नहीं मिलेगा, महोदय, तब तक उन कानूनों के बनाने का अर्थ क्या है। इसके लिए जब तक कुछ ऐसी भी प्रक्रिया और कानून न हो कि जो वे पुलिस अधिकारी हैं

या और भी संबंधित मामलात से जुड़े हुए जब तक वे सक्षम नहीं हो पाते हैं उसमें आज भी ऐसा पाया जाता है कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, तो वह कोई जब तक व्यवस्था नहीं होगी, महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकेगा, बावजूद सारे कानूनों के और बावजूद इन सारी चर्चाओं के। लेकिन हां, यह जरूर है कि जब चर्चा होती है, बार-बार आवाज उठती है तो उसका असर कहीं न कहीं समाज में होता है, समाज में यह जरूर है कि चाहे धीरे ही सही बच्चियों के बारे में एक सोच में फर्क तो आया है। अब बच्चियों का जन्म दिन भी लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। पिछले दिनों इस सरकार ने जो उत्तराधिकार विधेयक पारित किया जिसमें कि महिलाओं को उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र के समान अधिकार दिया है। इससे लड़कियों को जो अधिकार मिला है उससे पूरे देश की महिलाओं का मनोबल बढ़ा है और उनका गौरव बढ़ा है, क्योंकि महोदय, बहुत जरूरी है महिलाओं को ताकत देनी है तो उनका आर्थिक सशक्तिकरण देने की खाली लिप सिम्पैथी जुवानी उससे कुछ होगी नहीं। उसके लिए इस सरकार ने यह एक ठोस कदम उठाया है कि उनकी एक आर्थिक सशक्तिकरण देने की दिशा में एक कार्य किया है।

इसी प्रकार जहां लड़कियों को नौकरी में आरक्षण देने की बात है तथा कई जगह लड़कियों के प्रतिशत सुनिश्चित है, लेकिन इसके मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। महोदय, होता यह है कि उतने प्रतिशत महिलाओं की नौकरी सुनिश्चित होती ही नहीं। इसी कारण वे भटकती फिरती है, नौकरियां मिलती नहीं। प्रतिशत तो कहने के लिए है कि उनके लिए 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत आरक्षण है नौकरी में लड़कियों का। तो इस तरह का विधेयक लाया जाए जैसा बालिकाओं की शिक्षा चाहे वे कहीं तक भी पढ़े चाहे वह टेक्नीकल या साइंस से रिलेटिड संस्था हो या वाणिज्य से संबंधित शिक्षा हो, वह उनकी पूरी निःशुल्क हो ताकि आर्थिक रूप से जब वे सक्षम बन पाएंगी, आत्म-निर्भर बन पाएंगी तभी घरेलू हिंसा और बाहरी हिंसा से उनका छुटकारा हो सकेगा जिसके लिए उनका पहला उपाय तो शिक्षा है। हर प्रकार की शिक्षा बच्चियों के लिए निःशुल्क हो। उनका दूसरा उपाय है आर्थिक सशक्तिकरण। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि नौकरियों का आरक्षण जो भी प्रतिशत हो वह उनको मिले। इस उत्तराधिकार कानून का कई लोगों ने विरोध भी किया कि अब तो भाई-बहनों में भी इससे झगड़े हो जाएंगे, इस तरह की बात हुई। लेकिन इसका बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा है, लड़कियों में एक आत्म विश्वास आया है। जब विरोध किया गया तो हमने कहा कि आप क्यों परेशान हैं क्योंकि आपके घर में भी बहु आएगी, उसका भी अपना भविष्य होगा केवल अंतर इतना ही हो जाएगा कि पहले चाबी आपके हाथ में थी अब चाबी लड़की के, बहु के हाथ में होगी। तो उसकी अपनी एक ताकत होगी, उसकी अपनी एक आवाज बनेगी। उससे घर में, परिवार में, ससुराल में उसका एक सम्मान बनेगा और आसानी से चाहे कोई ससुराल वाले हों या पति हो या जो भी हों वे उसका शोषण उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे। दहेज के नाम पर इस देश में कितनी हिंसा अभी तक हो रही है, कितने मामले हो रहे हैं – आंकड़े बताते हैं कि

दहेज हत्याओं का सिलसिला अभी जारी है। विधवाओं के साथ जिस तरह का उत्पीड़न जारी है, परित्यक्ताओं को जिस तरह से देखा जाता है, बांझ स्त्रियों का जिस तरह से सामाजिक, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, और तो और जिनके बच्चियां हो जाती हैं, उनकी किस तरह से उपेक्षा और अवहेलना होने लगती है – इन सबके लिए सामाजिक सोच ही जिम्मेदार है। महोदय, यह सोच तभी बदलेगी जब बच्चियां ज्यादा शिक्षित होंगी और सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों जिससे कि वे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हो सकें।

महोदय, इसके बारे में चर्चा यहां चली है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं और कल ही टी.वी. में दृश्य देखने को मिले – यह ताजतरीन वारदात है – उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस वालों ने जिस तरह से पार्क में बैठी हुई बच्चियों के साथ अपना जो पुलिसिया रौब दिखाया है, जिस तरह से उन पर लाठियां बरसाई हैं, वह एक बर्बर उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के बारे में सभी जानते हैं कि वहां पर कई तरह के अपराधी और कई तरह के कुख्यात सरगना, कई अपहरणकर्ता और बलात्कारी बेखौफ घूम रहे हैं, उन पर पुलिस का डंडा नहीं चलता है, कमजोर और असहाय लड़कियों के ऊपर ही उनका डंडा चलता है। एक और हृदय विदारक हादसा मैं आपको बताती हूं। पिछले दिनों रेलवे स्टेशन पर एक मां अपनी बच्ची को छोड़ गई, यह वाकया राजस्थान में हुआ। जब पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो मां को पकड़ा गया और उस मां ने यह वजह बताई कि क्योंकि उसके दो जुड़वां बच्चियां हुई और उसके पहले भी बच्चियां थीं, इसलिए घर में वह शोषण को झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। देखिये, उस मां ने कितना कड़ा कलेजा किया होगा कि अपनी बच्ची को, नवजात बच्ची को रेलवे स्टेशन पर जाकर छोड़ा होगा। महिलाओं की परिवार में ऐसी स्थिति है। आज यह स्थिति है कि बच्ची को इस रूप में देखा जाता है कि महिला को यह महसूस होता है कि उस बच्ची की वजह से उसकी उपेक्षा और अपमान बहुत बढ़ जायेगा। तब कहीं जाकर के एक मां यह हौसला करती है कि अपनी बच्ची को छोड़ जाती है। ये तमाम हालात है, जो यह सोचने पर बार-बार विवश करते हैं कि किस प्रकार हम बराबर संशोधन करते रहें, जो भी हमारे पिछले कानून बने हैं, उनमें इतना प्रभावी संशोधन हो कि महिलाओं को शोषण, उत्पीड़न से मुक्ति मिले। कई जगह पर देखकर तो हमें बड़ा अफसोस होता है, जब यह पता चलता है कि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। कई बार जब हम पुलिस वालों को ऐसे मामलों में लिप्त देखते हैं – बलात्कार संबंधी मामलों में, हिंसा संबंधी मामलों में जब पुलिस वाले ही कई जगह पर लिप्त पाये जाते हैं, तो बड़ा अफोसोस होता है। महोदय, सवाल यह उठता है कि जब रक्षक ही भक्षक होंगे, तो रखवाली कौन करेगा? कई मामलों में हम देखते हैं कि काम की जगहों पर महिलाओं का शोषण होता है, चाहे उनके प्रमोशन का मामला हो, चाहे नौकरी की बहाली का मामला हो, चाहे उनको कोई सर्टिफिकेट देने का मामला हो, चाहे वह खेत मजदूर हो, चाहे वह निजी संस्थानों में काम करती हो या सरकारी में काम करती हो, हर जगह महिलाओं के

सामने कदम-कदम पर बड़ी चुनौतियां हैं, कदम-कदम पर ऐसे कांटे हैं, जिन्हें पार करना पड़ता है। उनके सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आती हैं। कई बार हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है और दूरदर्शन के माध्यम से देखा है कि बड़े बड़े अधिकारी महिलाओं का शोषण करने में संलिप्त पाये जाते हैं – दिखाये गये हैं बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के और आर्मी सेवा तक के। जब ऐसी स्थितियां बनती हैं, तो महिलाएं आखिर कहां संरक्षण के लिए जायें? किस तरह से उनका संरक्षण हो, किस तरह से उनको सुरक्षा मिले जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें – अपने घर में, अपने समाज में – और उनका सचमुच में सशक्तीकरण हो, सचमुच में उन्हें सुरक्षा मिले। यही मैं अंत में कहना चाहूंगी। कहने को यहां स्त्री के बारे में बड़े-बड़े विशेषण हैं, लिप सेम्पैथी के रूप में नारी शक्ति है नारी देवी है नारी लक्ष्मी रुप है लेकिन लक्ष्मी घर में आती हुई बहु के रूप में चाहिए, अगर वह बच्ची के रूप में घर में आ रही है, तो उसका स्वागत नहीं है। मेरी रचना की पक्तियां हैः

नारी जीवन बाधा दौड़,

कर्तव्यों की बलिवेदी पर चुप रहकर मिटते जाना,

अधिकारों का अनजाने में, जानबूझकर छिनते जाना,

पिता-पुत्र या पतिग्रह हो, उसको सुख मिलता तोड़ मरोड़,

नारी जीवन बाधा दौड़।

ऐसी नारी जीती है।

सदियों से छल किया जा रहा, श्रृद्धा की देवी कह कह कर,

रहे निरक्षर या हो साक्षर, उसे मिल रहा न्याय घुमाक्षर,

है महान जब तक है गूंगी।

हम जब तक महान हैं, जब तक हम अपने आरक्षण का सवाल न उठाएं, अपने न्याय का सवाल न उठाएं, वरना कइयों की भौहें तन जाती हैं कि ये महिलाएं आरक्षण की बात क्यों करती हैं? इन्हें नौकरियों में क्यों आरक्षण चाहिए। इन्हें विधान सभाओं में और लोग सभा मे क्यों आरक्षण चाहिए? जो कमजोर है, उसे ही तो आरक्षण चाहिए। उसे ही तो आगे लाने की जरूरत है।

है महान जब तक है गूंगी,

जब तक वे अपना हक छोड़, नारी जीवन बाधा गया,

जौहर हो या अग्नि परीक्षा, हर युग जलती अबला नारी,

रुक जाओ इतना मत रगड़ो, चंदन बन जाए चिंगारी,

सुनो गगन भेदी चीखों को, मुक्त है सारे बंधन तोड़

नारी जीवन बाध दौड़।

तो नारी-जीवन इस बाधा दौड़ से निकले और यह चर्चा सार्थक हो, यही मेरा कहना है।

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I appreciate you for giving me time to speak on this very important issue. I have been working for several decades now with one of the leading women's organisations in this country with a membership of 7.5 million, which is the All India Democratic Women's Association. It is on the basis of my experience in that organisation, I would like to bring, through you, Sir, to the notice of the Government and to the House some major issues, which I consider very important, concerning atrocities against women. I support many of the points which have been made by both Maya Singhji and Prabha Thakurji. They are very important points. They have given all the statistical data. I am not going to repeat that.

But I will begin by expressing my deep condolences, and I hope the House will join me in this, to the parents of a young woman called Pratibha, who was an employee at a BPO centre in Bangalore, who, on her return from duty, was raped and murdered. Now, this issue, I believe, has much wider implications for all working women in this country, We believe, when we talk women's advancement, when we talk about women's emancipation, one of the first pre-requisites for that is women's economic independence, and to enhance women's economic independence there has to be enabling environment. All the international conventions, of which India is a signatory, have specifically mentioned the needs of working women precisely in this context. Now we find in many of the cities that a large number of young women are availing of the opportunities of education, particularly, in the IT sector, which is now being claimed to be one of the most important sectors, as far as taking forward the Indian economy is concerned. But I would like to say that lakhs of women are employed in the BPO sector. They have allowed the night shift. I am not against the night shift. But what I say is that you have the night shift without guaranteeing security of women. You have the night shift not as a choice for women, but you have the night shift as mandatory for women where day shift is possible. Therefore, the whole issue of night shift security for lakhs of women in this country has become a crucial concern, after the experience of Pratibha. so many other young women are working in the BPO centres. Therefore, the change in labour

conditions, as far as the BPOs are concerned, as far as the other industries are concerned, is that when they ask for special permission from the Government to run night shift only when they can guarantee security for women, for their transportation and conveyance, should they be given the permission. As a first step, and I hope this House will join me in demanding that, there should be criminal prosecution against the particular person and management of that BPO centre. We don't accept the argument, which is being given, that the transport is being outsourced to another company and it is the transport company which is responsible. What happens? The employer and the employee relationship is then transferred to the driver and the employee or to the transport company and the employee. We can't accept this argument. It is the responsibility of the employer and, therefore, after Pratibha's case, it is essential that a proper investigation, prosecution and change of the laws should be carried out to ensure that it does not happen again. It is a very important point which i hope the Government will consider when we talk about atrocities on women. So far as the working woman is concerned, in this country, the largest number of women are working in the unorganised sector. It is shocking that even though the Supreme court has passed the Vishaka Judgement in 1997 There is no law on sexual harassment. The Government is prepared to bring every other law. The hon. Prime Minister is on record saying that we do not need inspections any more; we have to do away with inspections. How can you do away with inspection? What is going to happen to the rights of working women so far as their security is concerned? You are going to leave it only to the employers. So far as the unorganised sector is concerned, as I was saying, the largest number of women, today, in the new liberal framework, are victims of the worst kind of economic vulnerability. When there is economic vulnerability, when there are fluctuating service conditions, where there are no guarantees of security, is it or is it not the responsibility of the Government to ensure that protective legislations are in place for such a large section of our population, more so, when that population's plight is invisible? If a woman, who has to go day in, day out to the same contractor without any protection and if she is sexually harassed, is it possible for her, when she knows that her job is dependent on him, to go and register a case against the contractor? What is required is proactive Governments, proactive political agendas, proactive laws and agencies which are going to assure that women get a secure environment

so that she can access justice; and this is true for the largest number of working women in this country. I want to bring to the agenda, central to the agenda, the atrocities against working women.

The second point I want to make is, as my colleagues earlier stated, very correctly, that there is a huge increase in the violence against women. It is no exaggeration to say that, today as far as women victims of violence are concerned, whether it is domestic violence or sexual violence, it is a fact that more women have been killed in incidents of violence than any victims of any war fought by India, any victims of any terrorist attack which Indians have faced, that is not to say that I am, in any way, negating or underplaying the extent of what the suffering is when this happens. But is it not a reflection of our double standards that when there is such an extent of violence against women, there is silence as a as the political agendas of mainstream political parties are concerned? And more often than not it is left just to women organisations. My friend Shri Jairam Ramesh asked. "Why only women are speaking?" Exactly that is the point: "Why only women are speaking? We do not want a women compartment. We do want...

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): हम लोग बोलेंगे।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی: ہم لوگ بولیں گے-

SHRIMATI BRINDA KARAT: That is good. Thank you. I know and I believe it is only with the support of the whole society that women can access justice. One very, very disturbing feature of the current patterns of violence against women is a fact that a large number of cases are being committed against minors. If you look at the figures of the last three years, whereas, there has been a 20 per cent increase in sexual assaults on minors, there has been a decrease in the conviction rate. In fact, I would say that this reflects the utter failure of the criminal justice system in this country. The point here is as to what can the Home Minister do far this. We are always told that this is a matter for the State Governments. It is true that this is a matter for the State Governments, but what I want to know is: Can there not be a Central framework of guidelines as far as police is concerned, as far as eligibility of judical officers is concerned? My colleagues have raised the issue of increasing

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

4.00 P.M.

the sensitivity of officers and personnel who have to deal with these important issues. In fact, as far as we have seen,... the kind of desensitisation of the judicial service- a section of the judiciary, a big section of the police force, these are the primary agencies which are there to bring justice to women, and it is their failure. It there is going to be a continuing failure, then, there is no doubt that this situation of increasing violence is going to continue because we are unable to give a strong message to the perpetrators of violence that if they commit violent acts against women, they are going to be punished, that they are going to be strongly punished. On this, I beg to disagree with my colleague who has talked about death penalty. I know this is ah emotional issue. We also give slogans"बलात्कारियों को फांसी दो"But we know, as far as the reality is concerned, with the low conviction rates, with the conservative approach of many of the Courts, what the demand of the women's organisations is, ensure a time-bound procedure. It is the delay in the judicial process, as far as cases of atrocties against women are concerned, which provide loopholes for perpetrators of violence to get away with it. And, in this connection, while hoping that there are going to be legal reforms on this, what I would also like to state is that there is another area of concern, that is, delay in the cases being dealt with, there are more and more cases of witnesses turning so-called hostile, whether there is pressure or whether there is inducement. Now, just the other day, we passed an Act under which the witnesses turning hostile could be prosecuted. Now, we have a case before us. I don't want to go into individual cases; but just to cite as an example. We know that there is criminalisation of politics. We know that women have to pay a special price and bear a special cost when there is an increasing criminalisation of politics, and we have seen this in a large nunmber of sex scandals which have shaken this country, in which there have been a lot of political people involved. Sir, in the most advanced State of Kerala, there has been a case where a very noted political leader had been involved; he was named as the main accused. As the case is being unduly prolonged, many of the witnesses have also turned hostile. Now this is a Prime example, and this gives an opportunity to the Central Government to persuade the Kerala Government to utilise the new procedures, which are there in the Criminal Law Amendment, and to take proper action,

according to that law, against that particular political personality. I believe that when there is a saluatry example, when important people are convicted and jailed, it will send a very important message to the country that all political parties are united on the fact that anybody who is guilty of atrocity against women would never go scott-free...*(Interruptions)*

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Sir, she is referring to Kerala...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No name is mentioned..*(Interruptions)* You are going to speak...*(Interruptions)* Mr. Samadani, your name is there; you are going to speak. And, you justify your stand.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, all women are affected, it is a fact that there are certain groups of women who are particularly, vulnerable to violence. And, sometimes, when women are seen as a repository of a community's *izzat,* the honour of that community, often when there is violence, say, communal violence or caste-based violence, we see that it is women who become the vulnerable targets, for a wider message to be sent. Now we have seen this in cases of communal violence.

I would just like to mention about Gujarat. Why I mention about Gujarat is that because the State's Home Department gave a figure of 185 cases of violence against women and girl children in the recent communal genocide in Gujarat. And, how many cases have been registered? Only 11 cases! So, the Government itself is admitting 185 cases and only 11 cases are registered, and they don't say whether it is a case of rape or any other type of violence So, I cannot say that. But, as far as sexual assault is concerned, the victims of sexual assault in periods of communal violence, taking Gujarat as an example, point to the urgent necessity for a separate legislation to deal with victims of communal violence. And, i think, Sir, Gujarat gave us many lessons which we must learn.

Similarly, Sir, as far as caste violence is concerned, we have seen religious *fatwas.* We all know about Imran's case. We know how much Imrana had to suffer because of the *fatwa.* Very Often, Sir, in common perception, *fatwas* are linked to a particular religion. It is not so, Sir. While the country was outraged with the Imrana case, and rightly so, legitimately so, and women's organisations came out in support of Imrana

and expressed their solidarity and help to her in whatever way- and there have been so many cases like that against such *fatwas* in which women themselves have protested, women of Muslim community themselves have strongly protested- at the same time, Sir, what is less' noticed is this whole issue of caste system and *fatwas* on the basis of castes.

My friend here, Mayaji, was talking about Haryana and sex determination etc. There is another very important point that, in this entire region, you have the phenomenon of honour Killings. You will be shocked to know, Sir, that just for the act of choosing one's own partner-if the girl who chooses as her partner a lower caste man-as far as many so-called caste panchayats are concerned, they have committed the greatest crime. They are publicly lynched, they have been killed. There is another phenomenon of missing girls, missing girls who have exercised self-choice of partners and have paid the price for it. when we speak to people about this, there are no laws in this country which deal with honour killings. Ahluwaliaji is not here. But when he was representative of India in the UN, as a rapportuer, there was a statement which was made by the Indian representative which said, "Honour killings do not occur in India." This is an official position of the Government of India. I do not know which Government it is. I do not care about that. The point is, if there is an official statement that honour killings do not exist in India, and if the present Government wants to change that wrong perception, which the NDA Government had given, then it is absolutely necessary to have a separate law for honour killings to recognise that caste today constitutes the greatest barrier for women's advance and caste systems which subordinate women in so many different ways, are one of the instruments through which violence against women, particularly Dalit women, is perpetrated.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Brindaji, you are raising very good points. But there is time-constraint.

SHRIMATI BRINDA KARAT: I am going to complete by summing up my points. I would like to say that we know what the definitions of violence are. We do have very good definitions of violence. But, if you look at the social approach to it, Sir, today, if a woman is harassed in the streets of Delhi, more often than not, you will find people in important offices,

important people who say, "There must be something wrong with the women. Look at the clothes she is wearing." In Bombay, when a young girl was raped in a Police Chowki, there was an editorial written in one of the leading political party's publication which said that girls should be careful about what they wear, which means that you are victimising the victim. It is a different mater that the largest number of women in this country who fact sexual assault is of poor women. It is a different matter that a large number of children are being sexually assaulted, what has it got to do with the clothes that women wear? Even if we look at the clothes that a woman wears, it is the woman's right to decide her own dress code. It is nobody's right to say, "Unless you dress in a particular way, we are going to say that you are provocative and, therefore, you can be a victim of a sexual assault". So, if these social approaches, unfortunately, become linked to the law also, that is where the problem comes. Today, unfortunately, you will be surprised if you just see these two laws, Sections 354 and 509 of the IPC. First of all, eve-teasing' is a ridiculous term. What is eveteasing? You want to trivialise what is clearly sexual harassment-eve as a temptress who is tempting the person to tease her? This is the sort of law of this country! There are many State Governments who use this language There are many State Governments which use this language. We object to that language, the women's organisations have demanded that it should be removed from our statute books. And, Sir, please listen to 509 of the IPC. "Whoever assaults or uses criminal force on any women intending to outrage her modesty..." What has it got to do with anybody's modesty? Why is that intention required? These are completely archaic frameworks of thinking which do not want to criminalise the impermissible sexual male behaviour. Therefore, the laws also have to be in alignment with the thinking of the society, which is that a woman's bodily integrity has to be protected. It is the law's responsibility and social responsibility to do so. I hope, through this debate, Sir, we will all make a commitment to women of this country that our political agendas will also include the important agenda of ensuring an enabling environment so that women can exercise their human rights, their democratic rights and their equal rights to the citizenship of this country.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati S.G. Indira. Your party has got eight minutes.

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Sir, first of all, I must compliment the hon. Member, Shrimati Brinda Karat for speaking so well. She has covered almost all the points.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She has covered all the point on behalf of all of you...*(Interruptions)...*Don't repeat those points. You raise new points... *(Interruptions)...*

SHRIMATI S.G. INDIRA: I will not.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Sir, we are also Members of this House. We all associate ourselves with our dear sister Brinda Karat. Sir, we also want to raise some points because women are facing so many problems.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The only thing is, don't repeat those points.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, now we are in the 21st century, and we are talking about atrocities committed against women. It is not that it is happening only now. Our history and our epics speak about atrocities committed against women. On reading the *Ramayan* and *Mahabharat,* we come to know about what happened to women of those times. Sir, I want to raise a few points. There is no specific law in our country which protects the rights of working women. We have made so many special Mentions on these issues in this House; we have also raised so many issues concerning women in this House. But, we did not get any reply from the Ministry. The problems of women have also been raised before the Press. Therefore, it is necessary to enact a suitable legislation through which enforcement of the right to gender equality to working women can be ensured. The working women have to be protected against harassment at workplace. First of all, we must think about the working women who are generally harassed by their made colleagues. A woman cannot express her difficulties openly because if she makes any complaint against that particular official, or, higher official, the male members in her family will object to that. She has to muster courage to come out of the family and lodge a complaint against that particular person. She has to face so many problems even in lodging a complaint. There are many affected women who cannot come forward to lodge complaint about their harassment at workplace. So, my point is, a suitable legislation should be enacted to protect the rights of working women.

Sir, my other point is, the existing laws are not at all useful for the women. There are so many loopholes in them. When a woman goes to a court to seek maintenance from her husband, she has to file a petition; she is required to give a proper proof of her residential address. If the husband is working in some Government Department, or, in other words, if he is a Government employee, she can get his proper address. Otherwise, he can wed again and run away from that area. That is a thing which is happening nowadays. So, the women is wandering in the court, she is approaching the court for getting maintenance for the upbringing of her child, but, finally, she faces the failure. So, for all the affected women, it has become useless to approach the court. If we cannot get the maintenance, if we cannot get anything from the court of law, then, what is the use of going there? Under such circumstances, she has left with no alternative but to commit suicide. A large number of such cases are there. So, we need to have a stringent law in this regard. Sir, we have to avoid the loopholes in the existing legislation.

Sir, it is observed that the crimes against women in 1999 reported an increase of nearly 102 per cent over the year 1989. In absolute terms, there was an increase of 68,699 cases in 1999 over 1989. So, there is an increase in the number of cases of crimes against women, cases of harassment against women, etc. There is an increasing trend in crimes against women such as torture, sexual harassment, immoral trafficking and indecent projection of women. The number of crimes committed against women is increasing day-by-day. So, we should have a stringent law against such incidents.

Also, Sir, there is report. The cases of rape by Police illustrate that women prisoners are also not treated well in jails, 3078 and there is harassment even inside the jail. Sir, here, I must say that our hon. Chief Minister of Tamil Nadu has extended privilege to the women section of society in the State. She is the role model for us. Sir, out of 13 criminal cases that she has faced, she has won 12 cases. After that, she has started giving much more importance to the women. At the party level also, she is giving more than thirty-three percent reservation to women in party posts. And also, in the Tamil Nadu Legislative Assembly, we are having more women Members. That is why, I am stressing upon the point that we have to bring the Bill for thirty-three per cent reservation for women here also.

Sir, when we are watching the serials in the television, we find that there is also harassment against women. Because of that, the mindset of men is also going on like that. So, the mindset of men should be changed. So, the Ministry should see to it that those types of serials,should not be telecast, because due to these serials, from the childhood stage, the boys start feeling that as per the set-up of the families, the male members of the family are the dominating force. They start thinking 'we can influence the system'. Sir, from birth, we are witnessing that before marriage, the girl is dominated by her brother; after marriage she is dominated by her husband, in-laws, brother-in-law, father-in-law, mother-in-law, etc. And, when she is in office, she is dominated by male colleagues, higher officials, etc. Thus, at every point of her life she is dominated. From the time of her birth till her death, she is dominated by the male section.

Sir, my point is that a specific legislation should be enacted for women who go for jobs. Also, when she is seeking the help of the court or the police, she should be safeguarded and should be treated considerately. If we look at advertisements, even in advertisements for cigarettes, women are shown. This is where the Ministry could intervene. One particular group of women may be coming forward for that advertisement. But we should have a stringent law saying that for such and such section, women should not be aired in the advertisements.

Thus, we can have any kind of set up, but the mindset, the psychology, of men should also change. At every point of her life, the woman should be safeguarded, because she cannot openly express her feelings, her difficulties and the harassment she undergoes. Every woman has her own difficulty. This difficulty should be removed. Stringent laws should be brought in to safeguard the interests of women. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati N.P. Durga.

SHRI RAJEEV SHUKLA (Uttar Pradesh): Sir, for every four women speakers, there must also be one male speaker

श्री उपसभापति: नहीं, वह तो पहले से ही पार्टी वाइज़ लिस्ट बनी हुई है, उसमें आल्टर्नेटिव का कोई सवाल नहीं है। पहला राउंड पूरी पार्टीज का होता है ...(**व्यवधान**)... इस विषय पर तो उनको ही प्रेफरेंस देने दो।

डा.कुमकुम राय (बिहार): आज स्पीकर नहीं श्रोता बनकर बैठिए।

श्री राजीव शुक्ल: नहीं हमें तो भी बोलने दीजिए।

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Sir, I shall begin my submission with what Pt. Jawaharlal Nehru has said. He said, and I quote, 'You can tell the condition of a nation by looking at the status of its women."

If you look at the status of Indian women, the situation is that in every twenty-six minutes, a woman is molested; in every thirty-four minutes, a rape takes place; in every forty-two minutes, a sexual harassment incident occurs; in every forty-three minutes, a woman is kidnapped; and in every ninety-three minutes a woman is burnt to death over dowry. This is the status of women in India. It is true! The condition of women even today, looking at the various mind-boggling incidents; is no better, It was only last month, on November 25, that we celebrated the International Day for Elimination of Violence Against Women.

Sir, the women, who are victims of physical or sexual abuse suffer long-term health problems, including distress, and make attempts at suicide. The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution, in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants equality to women, but also empowers the State to adopt positive measures in favour of women. The same thing has been said in the National Policy for the Empowernment of Women. But, these are words, which only sound good, since we lack in implementing them in letter and spirit.

Sir, I have a few suggestions to make for the consideration of the hon. Minister. I don't want to dwell upon the increasing number of rape cases, particularly in North India, the incidents last year in Manipur involving the Armed Forces, or the latest incident in which a woman's hands were chopped off. Many hon. Members have mentioned these things.

Sir, my first point is about domestic violence. Domestic violence is violence against love, violence against humanity, physical battering, intimidation, spousal neglect and a prison in which a woman is trapped into submission. Despite the apparent neutrality of the term, domestic

violence is always a gender-specific crime, perpetrated by men against women. Domestic violence is perpetrated not only by the husband, but also by the in-laws and others. All are violations of the most fundamental human rights of women.

The violence against women cuts across boundaries, religions, cultures and income groups. Even according to the UNESCO study, 45 per cent of Indian women are slapped, kicked or beaten by their husbands. India is also having the highest rate of violence during pregnancy. If we consider women-related violence, 50 per cent women are kicked, beaten or hit when pregnant, and 78.4 per cent of the women wo suffered violence have attempted committing suicide. This year, we had passed Domestic Violence Bill without any discussion. Sir, according to UNESCO 'psychological abuse' is also a domestic violence. But, nothing has been mentioned about this even in the Bill that we passed. And, Sir. there is a clear cut difference between 'emotional abuse' and 'psychological abouse.' 'Emotional abuse' is an affective state of consciousness in which joy, sorrow, fear, hate, etc., is experienced. But, 'psychological abuse' is affecting the state of mind. So, I appeal to the Minister to study this and make necessary changes to treat psychological abuse as one of the atrocities against women.

The second point is, the Labour Ministry recently allowed women to work at night shifts also. And I need to tell the hon. Minister about the atrocious behaviour on women at workplace. We have umpteen such instances. But, there is no legislation to contain sexual abuse of women at workplace. So, I request that there is an urgent need to bring legislation to control sexual abuse at workplace.

Sir, my third point is with regard to rape, which, to my mind, is the most dreadful act on women and is common in our country. Sir, rape is defined in India as intentional, unlawful sexual intercourse with a woman without her consent. The essential elements of this definition under Section 375 of the Indian Penal Code are sexual intercourse with a woman and the absence of consent. This definition, therefore, does not include acts of forced oral sex, or sodomy, or penetration by foreign objects; instead, those actions are criminalized under section 354 of the IPC, which deals with criminal assault on a woman with intent to outrage

her modesty and Section 377 IPC, covering carnal intercourse against the order of nature. We have been demanding for inclusion of the above under Section 375 and to provide more stringent punishment. But, so far, nothing has been done. I request the hon. Minister to ponder over this and save the women in India.

It is ridiculous that Section 155(4) of the Evidence Act takes into account the moral character of a victim of rape at the time of trial. How can a prosecutrix, who may be a poor woman or a tribal woman or an uneducated woman, prove that she has moral character. This kind of provisions further gives an elbowroom to males to get out of the clutches from law. So, I strongly feel that there is no meaning to this Section and this sub-section should be deleted straightaway.

With these words, I conclude. Thank you.

डा.कुमकुम राय: धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, जब से होश संभाला है अपने समाज में मै एक श्लोक सुनती आई हूं-

"या देवी सर्वभुतेष मात्ररुपेण संस्थिताःनमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमो नमः"

और उसके बाद एक दूसरा श्लोकजो समाज में आगे और लोगों से सुनने को मिला कि-

"यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमण्ते तत्र देवता"।

यानी हमारे आदिकाल से लेकर अब तक जो सूत्र वाक्य है हमारे ऋषि, मुनि और मनीषियों ने रचे हैं उसमें महिलाओं को, स्त्रियों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। बावजूद इसके हम इक्कीसवीं सदी में आज हम सदन में महिलाओं की चिंताजनक अवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। सब महिलाओं की जो स्थिति है उसके सबसे बड़े जो सामाजिक हमारे सरोकार हैं, जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो सामाजिक परम्पराएं हैं, जो सामाजिक रीतियां है, जो रस्मों-रिवाज हैं वे ज्यादा हद तक जिम्मेदार हैं। आज भी अनेक ऐसे घर हैं जहां पर महिलाएं, जहांपर बच्चियों का पैदा होना माथे की चिंताओं को बढ़ाने वाला होता है और वहां से जो उसके साथ भेदभावमूलक व्यवहार शुरू होता है, वह आज तक उसकी चिता तक जलता है। उसके पालन-पोषण से लेकर शिक्षा-दीक्षा से लेकर अभिभावकों में यह बात उनके दिमाग पर असर करती है कि बेटी पर खर्च करना फिजूल का खर्च करना है और कहा जाता है कि बेटी पर खर्च करना मतलब पराये घर के आंगन में लगे हुए पेड़ को पानी देना है क्योंकि बेटी पराया धन है। इसलिए इस प्रकार की जो मनोवृत्ति है जो वह बचपन से लेकर चिता तक उसका पीछा करती है। घर की माताएं घर के जो खाना है, उसमें जो

अच्छी चीज़ है, वह अपने बेटों को दे देती है, अपने पतियों की दे देती है और बच्चियों को दे देती है और फिर बचा हुआ अपने आप खाती है। आप देखें कि बच्ची से लेकर मां तक की जो अवस्था है, उसमें हमारी यह सोच काम देती है। आज जो कुपोषण की समस्या है, महिलाओं में जो कुपोषण की समस्या है, उसके पीछे उसकी वह सोच काम देती है। जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति होती है, उसमें वह पहले अपने पति को खाना खिला लेगी, घर के बेटों को खाना खिला लेगी, उसके बाद जो चौके पर बचा होता है, उसे वह खूद खाती है। ऐसी स्थिति में हमने समाज में परम्पराओं को ढोते हुए, इन रीति-रिवाजों को ढोते हुए देखा है। आप यह देखें कि आज महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, अपने पति की लम्बी उम्र के लिए और अगले सातों जन्मों में उसका ही साथ पाने के लिए। आज वह हरितालिका तीज करतीहै, अपने पति की लम्बी उम्र के लिए। मां अपने बेटे की लम्बी उम्र के लिए जितिया व्रत करती है। महोदय, यह बहुत कठिन व्रत है इसमें अन्न-जल तो लिया ही नहीं जाता है, मुंह में कोई तिनका भी नहीं डाला जा सकता है। अगर मुंह में कोई तिनका भी उड़कर चला गया तो वह व्रत भंग हो जायेगा यानी जितने व्रत, त्यौहार और जितनी कष्टकारी प्रक्रियाएं हैं, वे सब औरतों के लिए हैं। समाज में अभी भी इनको निभाया जा रहा है। सामाजिक स्तर से जो यह भेदभाव शुरू हुआ है और यही सामाजिक स्तर का भेदभाव हमारे इस पुरुष समाज के दिमाग में भी है। यह सामाजिक संरचना बन चुकी है, यह हमारी सोच की संरचना बन चुकी है कि हमें द्वितीय दर्जे का नागरिक जन्म से लेकर आखिर तक समझा जाता है और यही कारण है कि हमारे समाज ने, हमारे देश ने तरक्की तो बहुत की है, अभी हमारी यूपीए सरकार ने अनेक ऐसे प्रभावकारी कानून बनाये हैं, कानूनों में संशोधन किया है, हमारे यहां पहले से ही बाल विवाह निरोधक कानून है, दहेज प्रथा निरोधक कानून है, सती प्रथा निरोधक कानून है, देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून है और हमने अभी घरेलू हिंसा के निवारण के लिए कानून बनाया है तथा हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया है। अनेक ऐसे कानून होने के बावजूद क्या कारण है कि महिलाओं की स्थिति में सुथार नहीं हो रहा है और उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। चाहे वह आईएएस अफसर रूपन देआले बजाज का मामला हो या अभी-अभी जो वायुसेना में घटना हुई है, वह अंजली गुप्ता की जिसका अभी कोर्ट मार्शल किया और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। क्योंकि वह अपने आरोपों साबित नहीं कर पाई। तो इस प्रकार का भेदभावमूलक व्यवहार हम समाज के निचले स्तर से लेकर ऊपर तक देखते हैं। जो गरीब हैं, जो गांव की गरीब औरतें हैं, जो गांवों में असंगठित क्षेत्रों में खेतों में काम करती है, जो ईट-भट्टों में काम करने वाली हैं, उन्हें कम मजदूरी दी जाती है, उनसे भी आठ घंटे काम लिया जाता है, लेकिन सरकारी कानून होने के बावजूद उनको कम मजदूरी दी जाती है। जो महिलाएं ईट-भट्टों पर काम करती हैं, उनका वहां पर दैहिक शोषण भी होता है और जो उसका विरोध करती है, उन्हें मार दिया जाता है। ऐसी भी घटना हुई है कि महिला ने जब दैहिक

शोषण का विरोध किया तो उसे जलते हुए भट्टे की आग में झोंककर सबुत नष्ट कर दिया गया। जहां पर इस प्रकार का अमानवी, क्रूरतम व्यवहार हो रहा है, हम किस समाज में रहते हैं, यह सोचने की बात है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में सबसे ज्यादा मार महिलाओं पर पड़ी है। आज भी महिला उपभोग्य, भोगने की वस्तु समझी जाती है। आप विज्ञापनों को देख लीजिए, इनमें महिलाओं का ही सहारा क्यों लिया जाता है? चाहे कोई भी चीज बेची जा रही है, उनमें महिलाओं का सहारा लिया जा रहा है, तो इस प्रकार की सोच जो हमारे समाज में डेवलप होती जा रही है, इसमें जो हमारी प्रथाएं हैं, वे सहयोग दे रही हैं। जब हम दहेज की बात करते हैं, चाहे जितने भी कानून बन जायें, लेकिन उनको तोड़ने के लिए भी लोगों ने अपे रास्ते निकाल लिए हैं। दहेज के मामले की जहां कोई खबर दे देता है, तो वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, उस पर कुछ कार्यवाही हो जाती है। लेकिन अब लोग दहेज को दूसरे ढंग से लेने लगे हैं और दहेज के नाम पर हमारे घर की लड़कियों के साथ अत्याचार होता है और जिनके घर वे विवाह करके कम दहेज ले जाती हैं, वहां भी उनके ऊपर अत्याचार होता है और जिनके घर की औरतें तानों से प्रताड़ित करती है, और घर के जो अन्य सदस्य हैं, वे भी कम दहेज लाने के लिए कभी-कभी तो उसे जिंदा जलाकर मार डालते हैं। यहां ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही इनका शोषण कर रहे हैं। यह सोच ऐसी है जो सब पर हावी है और महिलाएं भी उस शोषण में शामिल हो जाती है। इसीलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि समाज में महिलाओं पर कई स्तर पर अत्याचार किये जा रहे हैं। आप देखें, जहां पर महिलाएं विधवा हो जाती हैं, अभी जब तक हिन्दू अत्तराधिकार कानून में संशोधन नहीं हुआ था, तब तक की बात थी कि घर में बैठे हुए उनके भाई भी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उस विधवा को उसकी ससुराल में भी ठोर नहीं मिलता था और वह मथुरा में जाकर शरण लेती थी। आप मथुरा चले जाइए, आपको वहां पर हजारों की संख्या में ऐसी विधावाएं मिल जाएंगी, जो वहां पर बहुत ही बुरी अवस्था में रह रही हैं। बनारस और मथुरा ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाकर, उन्हें जिंदा मरने के लिए भेज दिया जाता है कि जाओ वहां मरो खपो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि चाहे विधवा हो या फिर जो बलात्कार से संबंधित घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार में बच्चे से लेकर बुढे तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है तो, ऐसी अनेक घटनाएं हो रही है। हमारी पूर्व वक्ताओं ने यहां पर आंकड़े दिये हैं। मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करना चाहती हूं। बार-बार इस प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहती हूं कि जो हमारे ये कानून बने हैं, उन कानूनों को कैसे प्रभावी बनाया जाए, उनको कैसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए? महिलाएं चाहे बलात्कार की शिकार हों, चाहे दहेज प्रथा की शिकार हों, चाहे बाल विवाह की शिकार हों या अन्य किसी शोषण और किसी प्रकार की प्रताड़ना की शिकार हों, यदि वे केस करती हैं तो होना यह चाहिए कि केस करने वाली महिला को संरक्षण देना चाहिए, उसकी सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि

बलात्कार की शिकार महिला ने किसी प्रकार से रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो उसके हाथ काट डाले गए हैं। इस घटना के बारे में सुनकर आगे आने वाले दिनों में कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां और कितने लोग यह हिम्मत जुटा पाएंगे कि वे रिपोर्ट दर्ज करवा सकें। जो न्याय की लम्बी प्रक्रिया है, आज उसको शॉर्ट करना चाहिए। इसलिए महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी केस हैं, उनके लिए अलग से न्यायायलय की व्यवस्था हो। हमारी महिला न्यायाधीशों की ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति हो। आज आप मुझे गिनकर बताइए कि आज हमारे हिन्दुस्तान में कितनी महिला जज हैं? आज महिला जजों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए और इसके साथ ही महिला अदालतें भी होनी चाहिएं। हमने देखा है कि कुछ राज्यों में महिला थानों और महिला पुलिस की व्यवस्था की गई है लेकिन यह कुछ ही राज्यों तक सीमित क्यों है? पूरे हिन्दुस्तान में यह व्यवस्था क्यों लागू नहीं हो रही है? इसलिए महिला पुलिस बने, महिला थाने बनें जहां पर महिलाएं निस्संकोच होकर अपनी व्यथा को, अपनी शिकायत को बखुबी दर्ज करा सकें। जब तक हम इस प्रकार के कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करेंगे, हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को नहीं रोक पायेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहती हूं कि सरकार इस मामले में काफी संवेदनशील है, लेकिन प्रशासन भी उसके साथ संवेदनशील बने। सरकार संवेदनशील है, इसलिए वह अपने बजट में भी महिलाओं पर ध्यान दे रही है, लेकिन साथ ही साथ हमारा पूरा प्रशासन, हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी, इस प्रकार संवेदनशील बने, ताकि महिलाओं से संबंधित जो भी मामले उनके पास आएं, उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और उन्हें न्याय मिल सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं और अपनी बात समाप्त करती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Next speaker is Mr. Samadani, You have seven minutes.

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh) Sir, he is the first male speaker. *...(Interruptions)...*

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to take part in this very important debate on atrocities on women. Sir, an atrocity on women has to be seen as a menace to the great civilizational values of the mankind. And, Sir, I believe that the issue has to be tackled very seriously and we have to go to the depths of the cultural patterns and the social erosion of values that are actually responsible for this unfortunate state of affairs.

Sir, one important aspect is that it is, no doubt, related -1 agree with our sisters who have already spoken - with the enforcement of the law.

There is ho doubt about that, there are laws but they are not strictly implemented. For example, there is a very strict law passed by the Parliament, but still dowry deaths are going on, suicides are taking place due to dowry. Sir, in our State of Kerala, very recently, a suicide took place and the villain was the dowry. Though a huge amount, lot of ornaments and everything was given in the dowry, still the peace and solace that is the right of every woman and man was not made available to the bride. Basically, Sir, we will be able to tackle the situation only by changing the mindset of the people. This is an age of machines. Everything has become mechanical and mechanical process has actually badly affected our cultural ethos, our great values of life.

Sir, the entire attitude of seeing women, a lady as a tool of enjoyment, as a commodity has to be changed. Only then, these atrocities, injustice against women can be curbed. Sir, you can see the havoc caused by the films, television serials, and advertisements. Everybody is speaking of the high esteem of the ladies, but nobody is worried about this kind of thing. Sir, we cannot walk unashamed through the streets of our country with our parents and children; the children cannot walk unashamed with their parents, and parents cannot go with their children because of obscene kinds of advertisements in the market. There, the ladies are only tools of commercialisation that is going on in the country. Nobody is opposing this. Sir, this is a very bad state of affairs. In certain areas of our country, a survey was conducted about the serials in different television channels. It was found that many of the serials were earning enough profits only by selling the tears of ladies. Sir, the tears of ladies have a market value in this country. I believe, Sir, we have to inculcate in the minds of the people, in the minds of the younger generation, especially by using our educational system, respect for ladies. Sir, years back Immansre Kant, the German Philosopher, put forward a theory for the world that is going to come. "Only one idea will be winning', he said, "respect to man". He said, "Man has to be considered not as a means , but as an end." That was the revolutionary idea put forward by Immansre Kant, who is described as the great gift of God to Germany. His contribution to philosophy is responsible for a turning point in the great philosophical history the mankind philosophical advencement. I believe, Sir, in this case, respect for ladies has to be inculcated in the minds of the younger generation. But instead of doing that, these television serials

and cinema are giving training to young generation how atrocities can be committed against women. One day after watching the news, I had to watch a serial. I was surprised to see that. The wife was being embraced by her husband, and gradually she was falling on his chest. And what the husband was doing? He was silently killing her. This kind of atrocity was shown in the serial! By showing these kinds of cruelties, they are giving training to the younger generation how violence can be committed on women, how murder can be done, and how rape can be conducted . Sir, there are instances when such atrocities were done against women, and when the police arrested the persons responsible for that, they told the police and the Press persons that they got inspiration from such and such TV. programme or from such and such films. If we give this kind of training to our younger generation, then, I think, there is no meaning in lamenting that our country is losing our values and women are being attacked. Sir, there is no justification for that. Sir, we will have to return to our great traditions of civilisation. In every civilisation, in every culture, in every religion, in every ideology, a lady has a great position. She is respected. In the *Vedas,* she is *Durga.* When *Sankaracharya* returned to his mother, *Arya Amba,* when she was dying, she asked *Sankaracharya,* "Oh, my son, what will you give to me in return-for all the pain that I have borne for you?" Then he says to his mother, "Even if I put my entire life on your feet, I cannot return for all the pain that you have borne for me." *Sankaracharya* says, "नहीं रुच्यं तनु शोषण, मालमयी शय्या च सांवलरी।"Mother, when you were pregnant, you had no *ruchi* (taste) in food (नहि रुच्यं तनु शोषण) and because of not taking food regularly, you became lean, you faced *soshan* मालमयी शय्या च सांवलसरी means during my childhood you spent time in my urine and stool and took all the pain to give me life, to give me culture, and to give me education.

The holy prophet *Mohammad Sallallaho-alaihe-wasallam* said, "the paradise is beneath the feet of the mother." When all kinds of atrocities were committed against the followers of the Holy Prophet, a disciple goes to the Holy prophet and asks, "When will this be over? Then the Holy prophet says, 'Everything will, be over, when a lady will move from this place to that place through this desert alone, without a male company."

So, Sir, that is the standard of civilisation. Sir, instead of that, I don't

think the agenda of even the so-called women liberation movements is correct. Sir, some of the so-called feminists in this country and all over the world believe that liberation of women folk means that women should use cigarettes as men use or women should wear the same dress that men wear. Sir, this kind of artificiality will not take us anywhere. Instead of that, Sir, we will have to return to great values and we will have to train our own young generation as to what is to be done and what kind of respect has to be paid for our sisters. Sir, I have some some difference of opinion with my learned friend, Brindaji, who made an excellent speech here. But she has misunderstood the entire Kerala matter. She was referring to the Kerala matter. It is nothing but politics. No court has ruled anything against the Minister, as she said. There is no such Minister. I don't think there is any Minister now. He has already resigned and I think it is a reference made out of misunderstanding. I think, Sir, that has to be corrected and I request the Chair to correct that matter because it is a kind of wrong notion and a kind of wrong reference.

MR. DEPUTY CHAIRMAN. You have yourself answered that. That will go on record.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, finally, what I have to request is that the lady who has been described as the colour of the painting of the universe रंग-ए-तस्वीर-ए-कायनात--she is described as tn-" रंग-ए-तस्वीर-कायनात, the colour of the painting of the universe-she cannot be made the colour of the advertising board. That is my request. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Hema Malini.

SHRIMATI HEMA MALINI (Nominated): Honourable Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the subject. It is a curious term of history that we have begun to lament on the condition of women today, the same women who were respected and worshipped in the various stages of our glorious past. The atrocities against women are now a reality and all of us must take some steps to ensure the safety of our women folk. The United Nations had accepted a document, namely, the Declaration on the Elimination of Violence against Women in 1993, wherein violence against women has been considered as a breach of human right. Even after

Independence of 58 long years, violence against women is increasingly menacingly domestic violence, violence at work place, at public place, transport and other utilities, physical violence, mental violence and sexual violence is increasing day by day. 30.4 per cent women are targeted; 12 per cent women are molested; 6.7 per cent women are victims of child abuse; 4.6 per cent are victims of dowry; 4.9 per cent are victims of sexual harassment, leading to suicide. Women are in the grip of fear-psychosis. They feel insecure in venturing out of their homes even in the National Capital of Delhi. Even visiting tourists in the capital are not spared, which is very shameful. Brutal rapes of helpless girls and women, shattering their whole lives, are witnessed in many parts of our country. Superstition and abetment due to lust and grievance of some influential people in the villages is also a reason for atrocities against women. *Devdasi* system is still prevalent in many parts of our country which destroys the lives of many innocent girls, who ultimately end up in flesh trade. In all, sexual harassment, molestations, eve-teasing and dowry system have projected women as a weaker sex in comparison to men. In spite of the protection of women against domestic violence and the prenatal disgnostic law, violence increases alarmingly. The main reason appears to be that the thinking of the society towards woman has not changed. I urge all the agencies of the Government to take note of this fact, and take some remedical measures. I would also like to mention that there is a misconception that this type of violence is the result of exposure to the films and television. I can say it with certain authority that the films and television programmes mirror the happenings in the society, and rarely the other way round. Thank you.

श्री उपसभापति: मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी, आप 5 मिनट में conclude कीजिए।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (मध्य प्रदेश): शुक्रिया सदरे मोहतरम्। औरतों पर बढ़ता हुआ जुल्म, लड़कियों की घटती हुआ आबादी पर हाउस ने अपने एहसासात को उजागर किया है। हमारी बहनों और भाइयों ने इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है. यह बहस बहुत ही मानाखेज और बहुत दूर सनताइज की हामिल होनी चाहिए मेरा ऐसा यकीन है। इंसानी तारिख में औरतों का बहुत अहम रोल है, मजाहिब में औरतों की बेपनाह अहमियत उजागर की गयी है। औरत की हिफाजत में मर्दों का भी बहुत बड़ा कैरेक्टर रहा है और औरत की कमजोरी का गलत फायदा उठाने वाले भी हमारे समाज में रहे हैं। पैदा होने से पहले उनके खात्मे का चलन भी जोर-ओ-शोर पर है। मर्द की समाजी जिम्मेदारी आज उसे आवाज भी दे रही है, और की गलत

रविश, औरत उसके लिए खुद जिम्मेदार भी बन गई है। औरत और पुलिस-ये जो समस्याएं हैं, वो भी जग-जाहिर है।

सर, औरतों के सिलसिले में डा. सर महोम्मद इकबाल ने कहा था, "वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग।" औरत का वजूद इस दुनिया के नक्शे में रंग की हैसियत रखता है। अगर वह न होती तो इस मर्द समाज के लिए ये जमीन और आसमान नाकाफी थे। फूलों की फूलवारी, गुंचों की चटक, कलियों की महक, जर्रों की ताबानी, सितारों की दरखशनी, चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी – ये सब कुछ का कोई मतलब नहीं होता अगर औरत के लंबों पर खेलती हुआ तबस्सुम दुनिया-ए-इंसानियत की धरोहर न बनता। एक औरत की अपनी अहमियत को हमारे मुल्क, चूंकि हमारा मूल्क मजहबी मुल्क है और मजहब की जड़ें इस मुल्क की जमीन में गहराई तक गयी हुई है, हमने मर्द के किरदार की भी औरत की हिफाजत के लिए धर्म की कहानियों के जरिए देखा है, रामायण के जरिए जाना है, महाभारत के जरिए पहचाना है पैगंबर हजरत मोहम्मद सलल्लाहो-अलैहे-वसल्लम के जरिए औरत के तहफ्फुज की हमने कद्र करना सीखा है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि औरत की हिफाजत कितनी जरुरी है और उस पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ कितनी दूर तक समाज जाता है। हमें रामायण से इसका उदाहरण मिलता है, महाभारत से इसका सबको मिलता है। एक औरत इस दूनिया में अपना जो किरदार निभाता है, उस किरदार पर मर्द समाज को फख्र से हमेशा हमने तारिख के पर्दे पे मुस्कुराते हुए देखा है। यही वह औरत है जो मर्द की शक्ल में एक पैगम्बर भी इस दुनिया को दे रही है, एक ऋषि भी इस दुनिया को दे रही है, एक सूफी भी इस दुनिया को दे रही है, एक सनतकार और बिजनैसमेन भी इस दुनिया को दे रही है एक प्राइममिनिस्टर और प्रेसीडेंट भी इस दुनिया को दे रही है। गर्ज यह कि इंसानियत को जितने जौहर हैं, वो तमाम के तमाम जौहर औरत की कोख से जन्म लेते हैं।

"हाय वह लोग जो कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ
एक वो हैं कि सब कुछ मगर कुछ भी नहीं।"

आज एक औरत के ऊपर जुल्मों-सितम के जो ताने-बाने बुने गए हैं और उस ताने-बाने को तोड़ने के लिए हमारी पार्लियामेंट चिंतित होकर प्रयास कर रही है। हम इस प्रयास को भी मुबारक कदम मानते हैं।

होम मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमा हैं। हालात को बेहतर तौर पर जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कानून तो बहुत-सारे बने हैं, मगर इन कवानीन की महरेदारी में हम नाकाम साबित हुए हैं। कानून दरअसल समाज को बनाने के लिए और समाज की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए बनता है। कानून अगर सो जाए तो समाज अपराध का शिकार हो जाता है। कानून अगर मर

जाए तो मुल्क में जंगलराज हो जाता है या कानून की हिफाजत करने वाले और कानून इम्प्लिमेंटेशन करने वाले अगर अपराध से सौदा कर लें तो भी कानून की बखिया उधड़ जाती है। चाहे मुल्क में औरतों के बलात्कार का मसला हो, चाहे उन्हें जेहनी तौर पर कोसने का मसला हो, चाहे तलाक़ का समला हो, चाहे दहेज का मसला हो, कोई भी मसला ऐसा नहीं है जहां औरत बाहुबली लोगों की वासनाओं का शिकार नहीं हो रही है इसलिए एक औरत को समाज में इज्जत वाकई मिलनी चाहिए, इसलिए कि उसने मर्दों के समाज को इज्जत की डगर पर चलाया है। यह जिम्मेदारी मर्द समाज की होती है, क्योंकि यह हाकिमाना दर्जा रखताहै या इसने हाकिमाना दर्जा ले लिया है जो कुछ भी हो, मर्दों के इशारे अबरूही पर औरत की जिन्दगी उसके इशाहे के महवर पर गर्दिश करती है। इसलिए जरूरी है कि मर्द समाज अपने अन्दर उस अहसास को जिन्दा करें जिसके जरिए औरत की हिफाजत हो सके।

यह औरत बेटी भी है, बहू भी है, बहन भी है और माँ भी है इसकी इज़्ज़त-ओ-वकार का मसला दुनिया की तारीख में हमेशा बहस का मौजू क्यों बन जाता है। कानून की जुबान में इस औरत को भरपूर तहफ्फुज हासिल होना चाहिए मगर जब उसी कानून पर अमल करने का वक्त आता है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है, इसलिए कि औरत अपनी इज्जत-ओ-आबरू के तहफ्फुज में मर्द-समाज की कमजोरियों की वजह से नाकाम होती है। अगर कानून पर ईमानदारी से अमल किया जाए और अपराध का राजनीतिकरण न होने दिया जाए या राजनीतिक का अपराधीकरण न होने दिया जाए, तो कोई नहीं है कि इस औरत-समाज का तहफ्फुज यकीनी तौर पर न मिल सके। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहूंगा कि कल औरतों को पैदा होने के बाद मारा जाता था आज पैदा होने से पहले ही कतोबरीद की मशीनें चला दी जाती हैं। मगर समाज यह नहीं सोचता कि जिसको यह मार रहा है, यह कल की इंदिरा गांधी होगी, जिसको यह मार रहा है, कल की यह लक्ष्मी बाई होगी, जिसको यह मार रहा है, कल की यह रजिया सुल्ताना होगी।

सोच तू मेरी तरह, बानिए इसकाते हमल,
वक्त हाथों से निकल जाएगा, फिर क्यो होगा।

रजिया सुल्ताना और इंदिरा से बढ़कर एक दिन रहनुमा कौम का इनमें कोई बच्चो होगा। इसलिए ऐसी औरतों को, जो हिन्दुस्तान की तारीख नहीं, इंसान की तारीख बनाती है, उनके ऊपर अत्याचार होना इंसानियत के जिस्म को छलनी करना माना जाए। औरतों के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ना इंसानी तहजीब को गारत करने के मुतरादिफ माना जाए। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस औरत ने, इस समाज को जो जिंदगी बख्शी है, उस जिन्दगी की कद्र करतेहुए मर्द समाज को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वक्त की कमी का मुझे अहसास है। औरत के

*Not recorded.

अहसास को मैंने यहीं बैठे-बैठे समझा और लिखने की कोशिश की है कि-

दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए,
मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए।
मैं भी जिन्दों की तरह जीने का हक़ मांगती हूं,
इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए।
अब तो बेटे भी चले हैं रुख़सत होकर,
सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए।

उसकी खामोशी का यह मतलब नहीं कि उसके अहसासात को क़त्ल कर दिया जाए। वह तो अपनी खामोश तहजीब की बुनियाद पर यह कहती है कि-

उसको मेरी आँखों को मुद्दआ समझना था।
मर्द समाज को उसकी आँखों का मतलब समझना चाहिए था।
उसको मेरी आँखों का मुद्दआ समझना था,
मैं तो एक मूरत थी मुँह से बोलती कैसे?

मगर मैं इस मूरत से कहना चाहूंगा, इस शराफत की मूरत से कहना चाहूंगा ...(**समय की घंटी**)...इस तहजीब की मूरत से कहना चाहूंगा, इस संस्कृति की मूरत से कहना चाहूंगा कि मौन व्रत तोड़ दो और मुकम्मल पूरी ताकत के साथ मर्द समाज के सामने आकर हुकूक की हीफाजत के लिए गवर्नमेंट को इतना मजबूर कर दो कि यह गवर्नमेंट तुम्हारे हुकूक की हिफाजत पर मुहर लगाए और मर्द समाज तुम्हारी इज्जत को समझे। साथ ही साथ अपनी बहनों से एकबात और कहूंगा कि कभी-कभी ये बहनें भी जुल्म और अत्याचार करके मर्दों का एक्स्प्लॉटेशन करती हैं। तो ये बहने भी इस अत्याचार और इस जुल्म-ओ-इस्तहेसाल से समाज को बचाएं। ...(**व्यवधान**)... सर, आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात कह रहा हूं। मेरी आखिरी बात यह है कि चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी एक औरत दर-बदर की ठोकर खा रही है,*।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی '' مدھیہ پردیش": شکریہ صدر محترم، عورتوں پر بڑھتا ہوا ظلم، لڑکیوں کی گھٹتی ہوئی آبادی پر ہاؤس نے اپنے احساسات کو اجا گر کیا ہے- ہماری بہنیں اور بھائیوں نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے- یہ بحث بہت ہی معنی خیز اور بہت دوررس نتائج کی حامل ہونی چاہئے،

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

میرا ایسا یقین ہے- انسانی تاریخ میں عورتوں کا بہت اہم رول ہے، مذاہب میں عورتوں کی بے پناہ اہمیت اجا گر کی گئی ہے- عورت کی حفاظت میں مردوں کا بھی بڑا کریکٹر رہا ہے اور عورت کی کمزوری کا غلط فائدہ اٹھانے والے بھی ہمارے سماج میں رہے ہیں- پیدا ہونے سے پہلے ان کے خاتمے کا چلن بھی زور وشور پر ہے- مرد کی سماجی ذمہ داری آج اسے آواز بھی دے رہی ہے، عورت کی غلط روش، عورت اس کے لئے خود ذمہ دار بھی بن گئی ہے- عورت اور پولیس، یہ جو سمسیائیں ہیں، وہ بھی جگ ظاہر ہے-

سر، عورتوں کے سلسلے میں ڈاکٹر سر محمد اقبال نے کہا تھا،'' وجود زن سے ہے تصویر کا ئنات میں رنگ"- عورت کا وجود اس دنیا کے نقشے میں رنگ کی حیثیت رکھتا ہے- اگر یہ نہ ہوتی تو اس مرد سماج کے لئے یہ زمین اور آسمان نا کافی تھے- پھولوں کی پھلواری، غنچوں کی چنک، کلیوں کی مہک، ذروں کی تابانی، ستاروں کی درخشانی، چندا کی چاندنی اور سورج کی روشنی، یہ سب کچھ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اگر عورتوں کے لبوں پر مسکراتا ہوا تبسم دنیا ئے انسانیت کی دھروہر بنتا- عورت کی اپنی اہمیت کو ہمارے ملک، چونکہ ہمارا ملک مذہبی ملک ہے اور مذہب کی چڑیں اس ملک کی زمین میں گہرائی تک گئی ہوئی ہیں، ہم نے مرد کے کردار کو بھی عورت کی حفاظت کے لئے دھرم کی کہانیوں کے ذریعے دیکھا ہے، رامائن کے ذریعے جانا ہے، مہا بھارت کے ذریعے پہچانا ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورت کے تحفظ کی ہم نے قدر کرنا سیکھی ہے-

میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور اس پر ہونے والے اتیا چار کے خلاف کتنی دور تک سماج جاتا ہے- ہمیں رامائن سے اس کا اداہرن ملتا ہے، مہا بھارت سے اس کا سبق ملتا ہے- ایک عورت ہے اس دنیا میں جو اپنا کردار نبھاتی ہے، اس کردار پر مرد سماج کو فخر سے ہمیشہ ہم نے تاریخ کے پردے پہ مسکراتے ہوئے دیکھا ہے- یہی وہ عورت ہے جو مرد کی شکل میں ایک پیغمبر بھی اس دنیا

کو دے رہی ہے، ایک رستی بھی اس دنیا کو دے رہی ہے، ایک صنعت کار اور بزنس مین بھی اس دنیا کو دے رہی ہے، ایک پرائم منسٹر اور پریسی ڈینٹ بھی اس دنیا کو دے رہی ہے- غرض یہ کہ انسانیت کے جتنے جوہر ہیں، وہ تمام جوہر عورت کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں-

ھائے افسوس جو کچھ بھی نھیں، لیکن سب کچھ

ایک وہ ھے کہ سب کچھ ھے مگر کچھ بھی نھیں

آج ایک عورت کے اوپر ظلم وستم کے جو تانے بانے بنے گئے ہیں اور اس تانے بانے کو توڑنے کے لئے ہماری پارلیمنٹ چشت ہو کر پر یاس کررہی ہے- ہم اس پریاس کو بھی مبارک قدم مانتے ہیں-

ہوم منسٹر صاحب تشریف فرماہیں- حالات کو بہتر طور پر جانتے ہیں- میں ان سے گزارش کرونگا کہ قانون تو بہت سارے بنے ہیں، مگر اے قوانین کی پہرے داری میں ہم نا کام ثابت ہوئے ہیں- قانون دراصل سماج کو بنانے کے لئے اور سماج کی بگڑی ہوئی حالت کو سدھارنے کے لئے بنتا ہے- قانون اگر سو جائے تو سماج اپرادھ کا شکار ہو جا تا ہے- قانون اگر مر جائے تو ملک میں جنگل راج ہو جاتا ہے یا قانون کی حفاظت کرنے والے اور قانون امپلی منٹیشن کرنے والے اگر اپرادھ سے سودا کرلیں تو بھی قانون کی بخیہ ادھڑ جاتی ہے- چاہے ملک میں عورتوں پر بلا تکار کا مسئلہ ہو، چاہے انہیں ذہنی طور پر کوسنے کا مسئلہ ہو، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے جہیز کا مسئلہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جہاں عورت یا ہویلی لوگوں کی واسناؤں کا شکار نہیں ہورہی ہے- اس لئے ایک عورت کو سماج میں عزت واقعی ملنی چاہئے، اس لئے کہ اس نے مردوں کے سماج کو عزت کی ڈگر پر چلایا ہے- یہ ذمہ داری مرد سماج کی ہوتی ہے، کیوں کہ یہ حاکمانہ درجہ رکھتا ہے یا اس نے حاکمانہ درجہ لے لیا ہے- جو کچھ بھی ہو، مردوں کے اشارہ آبرو ہی پر عورت کی زندگی اس کے اشارے کے محور پر گردش کرتی ہے- اس لئے ضروری ہے کہ مرد سماج اپنے اندر اس احساس کو زندہ کرے جس احساس کے ذریعے عورت کی حفاظت ہو سکے-

یہ عورت بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، بہن بھی ہے اور ماں بھی ہے- اس کی عزت ووقار کا مسئلہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ بحث کا موضوع کیوں بن جاتا ہے- قانون کی زبان میں اس عورت کو بھر پور تحفظ

حاصل ہونا چاہئے- مگر جب اسی قانون پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے- اس لئے کہ عورت اپنی عزت وآبرو کے تحفظ میں مرد سماج کی کمزوریوں کی وجہ سے نا کام ہوتی ہیں- اگر قانون پر ایمانداری سے عمل کیا جائے تو اور اپرادھ کا راجنیتی کرن نہ ہونے دیا جائے یا راجنیتی کا اپرادھی کرن نہ ہونے دیا جائے تو کوئی نہیں ہے کہ اس عورت - سماج کو تحفظ یقینی طور پر نہ مل سکے- میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہونگا کہ کل عورتوں کو پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا تھا، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی قطع وبرید کی مشینیں چلادی جاتی ہیں- مگر سماج یہ نہیں سوچتا کہ جس کو یہ مار رہا ہے، یہ کل کی اندرا گاندھی ہوگی، جس کو یہ ماررہا ہے کل کی یہ لکشمی بائی ہوگی، جس کو یہ ماررہا ہے کل کی رضیہ سیطان ہوگی-

سوچ تو میری طرح بانی اسقاط حمل

وقت ہاتھوں سے نکل جائے گا، پھر کیا ھوگا

رضیہ سلطان اور اندرا سے بڑھ کر ایک دن رہنما قوم کا ان میں کوئی بچہ ہوگا-

اس لئے ایسی عورت کو جو ہندوستان کی تاریخ نہیں، انسان کی تاریخ بناتی ہیں، ان کے اوپر اتیا چار ہونا انسانیت کے جسم کو چھلنی کرنا مانا جائے- عورتوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنا انسانی تہذیب کو غارت کرنے کے مترادف مانا جائے- میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہونگا کہ اس عورت نے، اس سماج کو جو زندگی بخشی ہے، اس زندگی کی قدر کرتے ہوئے مرد سماج کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہئے- وقت کی کمی کا مجھے احساس ہے- عورت کے احساس کو میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے سمجھا اور لکھنے کی کوشش کی ہے کہ -

دل کے بھلانے کا سامان نہ سمجھا جائے

مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے

میں بھی زندوں کی طرح جینے کا حق مانگتی ھوں

اس کو غداری کا اعلان نہ سمجھا جائے

اب تو بیٹے بھی چلے جاتے ھیں رخصت ھوکر

صرف بیٹی کو ھی مھمان نہ سمجھا جائے

اس کی خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے احساسات کو قتل کردیا جائے- وہ تو اپنی خاموش تہذیب کی بنیاد پر یہ کہتی ہے کہ-

اس کو میری آنکھوں کا مدعا سمجھنا تھا

مرد سماج کو اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھنا چاہئے تھا-

اس کو میری آنکھوں کا مدعا سمجھنا تھا

میں تو ایک مورت تھی منہ سے بولتی کیسے

مگر میں اس مورت سے کہنا چاہونگا، اس شرافت کی مورت سے کہنا چاہونگا.......

.........''وقت کی گھنٹی".........

اس تہذیب کی مورت سے کہنا چاہونگا، اس سنسکرتی کی مورت سے کہنا چاہوں گا کہ مون ورت توڑ دو اورمکمل پوری طاقت کے ساتھ مرد سماج کے سامنے آکر اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے گورنمنٹ کو اتنا مجبور کردو کہ یہ گورنمنٹ تمہارے حقوق کی حفاظت مہر لگائے اور مرد سماج تمہاری عزت کو سمجھے- ساتھ ہی ساتھ اپنی بہنوں سے ایک بات اور کہوں گا کہ کبھی کبھی یہ بہنیں بھی ظلم اور اتیاچار کرکے مردوں کا ایکسپلائٹیشن کرتی ہیں- تو یہ بہنیں بھی اس اتیاچار اور اس ظلم واستحصال سے سماج کو بچائیں

.....مداخلت.....

سر، آخری بات، بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں- میری آخری بات یہ ہے کہ چونکہ میں مدھیہ پردیش سے آتا ہوں، اس لئے میں عرض کرنا چاہوں گآ کہ مدھیہ پردیش میں عورت در بدر کی ٹھوکر کھا رہی ہے-

"ختم شد''

श्री उपसभापति: नहीं, नाम ले सकते। The name will not go on record. Now, the discussion on atrocities on women will continue after the statement and clarification by the Commerce Minister. The Commerce Minister is to make the statement.

STATEMENTS BY MINISTERS

Outcome of the negotiations at Sixth Ministerial Conference of World Trade Organisations held in Hong Kong, China from 13th to 18th December, 2005

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI KAMAL NATH): Mr. Deputy Chairman, Sir, hon. Members will recall that I had made a statement in this House on 7th December, 2005 on the Hong Kong Ministerial Conference of the Commerce and Trade Ministers of 149 member countries from 13—18 December, 2005. The Ministers issued a declaration, copies of which have been placed in the Parliament Library.

During this Conference, India was proactive in articulating its position on issues of concern to us and other developing countries, especially in the 21 member G-20 alliance and 45 member G-33 alliance. India played a key role in further strengthening the developing country coalitions by bringing together G-20, G-33 and G-90 groups of countries in a Grand alliance to reinforce each other's position on issues of mutual interest. India also enabled the formation of NAMA 11 Group (countries such as India, Brazil, Argentina, South Africa, Philippines, Indonesia, etc.) to pursue and integrate meaningfully Special and Differential Treatment issues in Non-Agricultural Market Access matters.

As far as India is concerned, the Hong Kong Ministerial Declaration finally agreed upon, addresses our core concerns and interests and provides us enough negotiating space for future work leading up to modalities. The text has positive development content, which would need to be built upon and fully realized in the next stage of negotiations.

The Declaration stipulates that the negotiations must be concluded, by 2006 and establishes time-lines and targets in specific areas. Among other issues, in Agriculture and NAMA, we agreed that the modalities are to be established by 30 April 2006 and comprehensive draft schedules submitted by 31 July 2006.